भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-372

उत्तर देने की तारीख-06/12/2023

व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में सम्मिलित करना

372 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में सम्मिलित करने पर बल देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अन्य पहलुओं को समायोजित करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने और विद्यालय के अवसंरचना संवर्धन की दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर बल दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में एनईपी के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, समग्र शिक्षा की मौजूदा योजना को नया रूप दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नई पहलों जैसे प्रशिक्षुता, बैगलेस डे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव आदि को सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

(ख): पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल व्यावसायिक शिक्षकों/प्रशिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रमुख

समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पीएसएससीआईवी क्षेत्र कौशल परिषदों, एससीईआरटी और अन्य हितधारकों के सहयोग से नए शामिल किए गए व्यावसायिक शिक्षकों/कौशल प्रशिक्षकों के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 10 दिनों की अवधि का एक प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पीएसएससीआईवीई एनईपी 2020, व्यावसायिक शिक्षाशास्त्र, रोजगार कौशल, व्यावसायिक और पूर्व-व्यावसायिक कौशल और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित पहलुओं पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सेवारत व्यावसायिक शिक्षकों की दक्षताओं के नियमित उन्नयन के लिए पीएसएससीआईवी द्वारा विषय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को समायोजित करने के लिए स्कूल अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि सहित यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए अनावर्ती अनुदान दिया जाता है।

(ग): समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कौशल अंतर विश्लेषण के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र **22** क्षेत्रों में एनएसक्यूएफ के अनुरूप **88** जॉब रोल्स में से चुनाव कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में यह प्रावधान है कि स्कूल/जिला स्तर पर शिक्षित किए जाने वाले व्यवसायों का चयन आकांक्षी व्यवसायों, स्थानीय रूप से अधिक प्रासंगिक व्यवसायों और नवीन और उभरते व्यवसायों पर विचार करके उचित रूप से किया जा सकता है।

*****